न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 92/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर

वादी

बनाम

1 हरजीत कौर पत्नी शिवराज सिंह जाति जट सिख निवासी पतली
2 रतन कौर पत्नी चंद सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
3 बलदेव सिह पुत्र चंद सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
4 मुख्तयार सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
5 प्यारा सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
6 लाल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
7 नर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
8 कोहर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
9 कदू सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
10 कालू सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
11 गुजर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
12 अंग्रेज सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
13 कृपाल सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
14 लीला सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
15 नानण सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
16 बीडला सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
17 इन्द्र सिंह पुत्र डुगर सिंह जाति जट सिख साकिन पतली
18 बेअन्त सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जट सिख साकिन पतली

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1 राजपैरोकार स्टेट (वादी)
2 राकेश सिहाग एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक : 3.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 30 के एस डभ जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 38/40 जगजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह 0.866 हि. जाति जट सिख साकिन सतपूरा , रतन कौर पत्नी चंद सिह बलदेव सिंह पुत्र चंद सिंह 0.675 हि. मुख्तयार सिंह प्यारा सिंह लाला सिह, नर सिह पुत्र सोहन सिह कोहर सिंह पुत्र सोहन सिंह 0.04हि. कदू सिंह , कालू सिंह पुत्र भाग सिंह 0.337 हि. गुजर सिंह पुत्र मोहन सिंह 1.518 हि. अंग्रेज सिंह, कृपाल सिह पुत्र भाग सिंह 0.694 हि. लीला सिंह, नानण सिह बीडला सिंह पुत्र गुजर सिंह 1.215 हि. इन्द्र सिंह पुत्र डुंगर सिंह .404 हि. बेअन्त सिंह पुत्र मघर सिह 0.594 हि. जाति जट सिख साकिन पतली दर्ज रिकॉर्ड है। जमबादी सेग्रीग्रेशन का कार्य किया जा रहा है जिसके सहकाश्तकारों के हिस्सा का योग एव खाते का क्षैत्रफल का कुल योग का मिलान आवश्यक है। जमाबदी के मुताबिक खाते के हिस्सों का योग एव खाते में अन्तर 0.759 है., का आता है। पटवारी हल्का एव भू0 अ0 निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

अनूसार कब्जा काश्त की स्थिती निम्नानूसार है कि चक 30 के एस डी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 38/40 जगजीत सिंह पुत्र हरनेक सिह जाति जट सिख साकिन संतपूरा मु.न. 47 कि.न .6,7,8,9 में 1.012 है. रतन कौर पत्नी चंदसिंह बलदेव सिंह पुत्र चंद सिंह जाति जट सिख सा. पतली मु.न 47 कि.न. 13, 14, 16,17,18 में 1.265 हि. मु.न .48 कि.न .15, 16, 17, 18, 19,20 में 1.518 हि. मु.न .49 कि.न 11, 20 में 0.506 हि. कुल 3.289 हि. , लीला सिंह नानण सिंह, बीड़ला सिह पुत्र गुजर सिंह 1.215 हि. इन्द्र सिंह पुत्र डुंगर सिंह 0.404 हि. बेअन्त सिंह पुत्र मघर सिंह 0.594 हि. जाति जट सिख सा0 पतली मु.न. 48 कि.न 7, 14 में 0.506 हि. कुल 0.506 हि। जमाबदी सेग्रीग्रेशन हेतू की जाने वाली कार्यवाही के समय दिनांक 10.12.18 को यह प्रकरण ध्यान में आया हे इस कारण अन्दर मियाद है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि निम्नानूसार डिक्री फरमाया जावे कि:– चक 30 के एस डी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 38/40 जगजीत सिंह पुत्र हरनेक सिह जाति जट सिख साकिन संतपूरा मु.न. 47 कि.न .6,7,8,9 में 1.012 है. रतन कौर पत्नी चंदसिंह बलदेव सिंह पुत्र चंद सिंह जाति जट सिख सा. पतली मु.न 47 कि.न. 13, 14, 16,17,18 में 1.265 हि. मु.न .48 कि.न .15, 16, 17, 18, 19,20 में 1.518 हि. मु.न .49 कि.न 11, 20 में 0.506 हि. कुल 3.289 हि. , लीला सिंह नानण सिंह, बीड़ला सिह पुत्र गुजर सिंह 1.215 हि. इन्द्र सिंह पुत्र डुंगर सिंह 0.404 हि. बेअन्त सिंह पुत्र मघर सिंह 0.594 हि. जाति जट सिख सा0 पतली मु.न. 48 कि.न 7, 14 में 0.506 हि. कुल 0.506 हि.

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी हरजीत कोर ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जगजीत सिंह ने आराजी का बेचान मुझ प्रार्थीया को कर दिया है एव राजस्व रिकॉर्ड में आराजी दर्ज कागजात हो चूकी है , प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जगजीत सिंह का नाम तर्क किया जाकर प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने ईकबाल दावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर मुताबिक रिपोर्ट वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, एव शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवायी गयी, प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस राजपैरोकार स्टेट द्वारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की एव काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन करने एवं बहस मनन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त वाद तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत कर विवादित खातो मे दर्ज खातेदारान की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है चूंकि खातेदारान द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के संबंध मे अन्य खातेदारान के साथ तबादला, बैय एवं अन्य तरीके से भूमि का अन्तरण आपसी सहमति के आधार किया हुआ है परन्तु रिकार्ड मे रकबा पूर्ववत हिस्सा के अनुसार दर्ज है जिसके कारण जमाबंदी दर्ज रकबा के मुताबिक खातेदारान की कब्जा काश्त के अनुसार हिस्सा कस्सी का मिलान नही हो रहा है। प्रकरण मे पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी मे रकबा मुताबिक कब्जा काश्त खातेदारान की हिस्सा कस्सी सही दर्ज किया जाना आवश्यक है एव प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादाधीन आराजी पूर्व में सांझा खाता मे दर्ज थी जो कि लगभग 110 बीघा का खाता था एव खाता अलग हुये काश्तकारों के नाम कलमजन ना होने के कारण अन्तर हुआ है एव उक्त खाता के काबिज काश्त प्रतिवादीगण का नाम अन्य खातों से कलमजन हो चूका है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

खाते अपवादित है तथा तहसील राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन किया जाना है जिसके लिए अपवादित खातो को दुरूस्त किया जाना अपरिहार्य है। अतः स्टेट की रिपोर्ट पर हिस्सा व कब्जा के आधार पर पृथक–पृथक खाते कायम करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड मे रकबा खातेदारान के नाम से दर्ज किया जावे कि :– (क) चक 30 के एस डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 38/40 प.न. 55/104 मु.न. 47 कि.न. 6, 7, 8, 9 प्रतयेक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी आराजी की प्रतिवादी संख्या 1 हरजीत कौर पत्नी शिवराज सिंह जाति जट सिख साकिन पतली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख)चक 30 के एस डी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 38/40 प.न. 55/104 मु.न. 47 कि.न. 13, 14,16, 17, 18 में 1.265 है., प.न. 56/104 मु.न 48 कि. न. 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में 2.024 है. नहरी , प.न. 57/104 मु.न. 49 कि.न. 11, 20 में 0.506 है.नहरी कुल 3.795 है. नहरी आराजी में रतन कौर पत्नी चंद सिंह, बलदेव सिह पुत्र चंद सिह ब.हि.ब. 1.582 है., लीला सिंह, नानक सिंह, बिड़ला सिह पि0 गुजर सिह ब.हि.ब. 1.215 है., इन्द्रजीत सिह पुत्र डुंगर सिह 0.404 है., बेअन्त सिह पुत्र मघर सिह 0.594 है. जाति जट सिख साकिन पतली खातेदार दर्ज किया जावे। तहसीलदार सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। बैंक रहन की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:06:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: